मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

परीक्षा योजना में संशोधन की सूचना, दिनांक 01.08.2011

विज्ञापन क्रमांक 04/ परीक्षा /2009/ दिनांक 13.07.2009

सहायक संचालक / जिला सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा –2009

01. आयोग के विज्ञापन कमांक 04 / परीक्षा / 2009, दिनांक 13.07.2009 द्वारा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत सहायक संचालक / जिला सांख्यिकी अधिकारी के 14 पद विज्ञापित किये गये थे, जिसके अन्तर्गत परीक्षा योजना एवं पाठ्यकम विज्ञापित किया गया था। विज्ञापन में प्रकाशित परिशिष्ट–3 परीक्षा योजना, तृतीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक विषय – के पैरा–1 एवं 3 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:–

01. वर्तमान व्यवस्था :–

उपरोक्त वर्णित अनिवार्य विषय, सामान्य ज्ञान (प्रथम प्रश्नपत्र) एवं तृतीय प्रश्नपत्र ऐच्छिक विषयों में परीक्षा देने वाले अनारक्षित श्रेणी के परीक्षार्थी को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थी को 10 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ देते हुए उन्हें 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माने जायेंगे।

संशोधित व्यवस्था :–

उपरोक्त वर्णित अनिवार्य विषय, सामान्य ज्ञान (प्रथम प्रश्नपत्र) एवं तृतीय प्रश्नपत्र ऐच्छिक विषयों में परीक्षा देने वाले अनारक्षित श्रेणी के परीक्षार्थी को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग परीक्षार्थी को 10 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ देते हुए उन्हें 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माने जायेंगे।

02. वर्तमान व्यवस्था :–

साक्षात्कार के कुल 50 अंक निर्धारित है। आवेदकों को अंतिम चयन के लिए परीक्षा में तथा साक्षात्कार में पृथक–पृथक 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित संवर्ग के तथा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 30 प्रतिशत अंक परीक्षा एवं साक्षात्कार में पृथक–पृथक प्राप्त करना होगा।

संशोधित व्यवस्था :–

साक्षात्कार के कुल 50 अंक निर्धारित है। आवेदकों को अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के अंक एवं साक्षात्कार के अंको को जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। तद्नुसार अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

02. विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

परीक्षा नियंत्रक